

संख्या-745/एक-10-2022-33(47)/2018

प्रेषक,

राम केवल,

विशेष सचिव,

उ०प्र० शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,

झांसी।

राजस्य अनुभाग-10

लखनऊ: 23/09/2022

विषय:- वर्ष 2019 में ग्रीष्म ऋतु में नगर निगम, झांसी नगर पालिका परिषद बरूआसागर, मऊरानीपुर, गुरसरायं, नगर पंचायत रानीपुर व गरौठा क्षेत्र में टैंकरों के माध्यम से की गयी जलापूर्ति पर व्यय हुई धनराशि राज्य आपदा मोचक निधि से आवंटित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आयुक्त झांसी मण्डल झांसी के पत्र संख्या-933/21-एल०वी०ए०-24 (2021-22), दिनांक 05 अप्रैल, 2022 एवं अपने पत्र संख्या-874/मु०रा०आ०-03(13)/द०आ०/2021-22 दिनांक 16 मार्च, 2022 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा वर्ष 2019 में ग्रीष्म ऋतु में नगर निगम, झांसी नगर पालिका परिषद बरूआसागर, मऊरानीपुर, गुरसरायं, नगर पंचायत रानीपुर व गरौठा क्षेत्र में टैंकरों के माध्यम से की गयी जलापूर्ति पर व्यय हुई धनराशि राज्य आपदा मोचक निधि से ₹0 2,40,82,848/- की धनराशि आवंटित किये जाने का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वर्ष 2019 में ग्रीष्म ऋतु में नगर निगम, झांसी नगर पालिका परिषद बरूआसागर, मऊरानीपुर, गुरसरायं, नगर पंचायत रानीपुर व गरौठा क्षेत्र में टैंकरों के माध्यम से की गयी जलापूर्ति पर व्यय हुई धनराशि ₹0 2,40,82,848/- (रुपये दो करोड़ चालीस लाख बयासी हजार आठ सौ अड़तालिस मात्र) राज्य आपदा मोचक निधि से चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन जिलाधिकारी, झांसी के निर्वर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

नियम व शर्तें/प्रतिबंध

(1) स्वीकृत धनराशि आहरित करके बैंक खाते में नहीं रखी जायेगी। स्वीकृत की जा रही धनराशि का पारदर्शी एवं त्वरित ढंग से वितरित किये जाने हेतु वित्त विभाग के शासनादेश सं०-ए-1-803/दस-2013-10(28)/2011 दिनांक 10.10.2013 (उक्त शासनादेश पूर्ण में सभी मण्डलायुक्त/जिलाधिकारीगण को प्रेषित किया जा चुका है, जिसे राहत की वेबसाइट पर देखा एवं प्राप्त किया जा सकता है) में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार सम्बन्धित जनपदीय कोषागार से सीधे सम्बन्धित के बैंक खाते में ई-पेमेंट के माध्यम से ही भुगतान सुनिश्चित किया जाय।

(2) जिस मद में शासन द्वारा धनराशि स्वीकृत की जा रही है, उसी मद में इस धनराशि का उपयोग किया जायेगा। अन्य किसी भी मद/विभागीय कार्य हेतु धनराशि का व्यय कदापि न किया जाये।

I/218042/2022

(3) राज्य आपदा मोचक निधि की धनराशि का व्यय सक्षम अधिकारी द्वारा वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त नियमानुसार प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए निर्धारित अवधि के अन्दर किया जायेगा।

(4) समस्त धनराशि का उपभोग दिनांक 31.03.2023 से पूर्व कर लिया जायेगा। यदि धनराशि अवशेष बचती है, तो नियमानुसार दिनांक 31.03.2023 के पूर्व समर्पित कर दी जायेगी।

(5) राज्य आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशि का जिला स्तर पर समुचित लेखा-जोखा रखा जाये तथा माह के अंत में जिलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जायेगा और मदवार मासिक व्यय विवरण निर्धारित प्रारूप पर अगले माह की 05 तारीख तक उपलब्ध कराने के साथ ही उक्त तिथि तक इसे राहत आयुक्त की वेबसाइट <https://rahat.up.nic.in/> पर फीड करवाना सुनिश्चित किया जाये।

(6) राज्य आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशियों के उपभोग/समर्पण के संबंध में शासनादेश सं0-2/1-11-2013-रा0-11, दिनांक 04.03.2013 का अनुपालन किया जायेगा।

(7) उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण-पत्र वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-369-एच के अधीन निर्धारित प्रारूप सं0-42 आई में शासन को उपलब्ध कराया जाये।

(8) व्यय की गयी धनराशि महालेखाकार कार्यालय में सही मर्दों में पुस्तान्कन कराया जाये और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाये।

2 - इस संबंध में होने वाला व्यय धनराशि रुपये 2,40,82,848/- (रुपये दो करोड़ चालीस लाख बयासी हजार आठ सौ अड़तालिस मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 051 लेखा शीर्षक 2245058000601 सूखा राहत हेतु स्टेट डिजास्टर रिस्पांश फण्ड से व्यय मानक मद 42 अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय जाप संख्या-13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक-07 जून, 2022 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

Signed by राम केवल

Date: 23-09-2022 17:42:07(राम केवल)

Reason: Approved

विशेष सचिव

संख्या-745/एक-10-2022 (1) तददिनांक

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार प्रथम/आडिट प्रथम, 30 प्र०, प्रयागराज।
- 2- सम्यन्धित मण्डलायुक्त ।
- 3- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, 30 प्र०, लखनऊ।
- 4- वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, कार्यालय राहत आयुक्त संगठन, 30 प्र०।
- 5- विशेष सचिव/नोडल अधिकारी बजट आवंटन (ई-यजट), राजस्व विभाग, 30 प्र०।



11/218042/2022

- 6- सम्बन्धित जनपद के कोषाधिकारी/मुख्य कोषाधिकारी।
- 7- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5 ।
- 8- गार्ड फाइल ।

आज्ञा से

(मनोज कुमार सिंह)  
संयुक्त सचिव

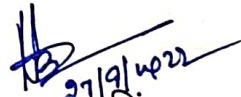
**Allotment Grid Report**

वित्तीय वर्ष:-2022-2023  
आवंटन दिनांक-27/09/2022

प्रेषण संख्या:- 745  
आवंटन आदेश संख्या:- 001-745  
अनुदान संख्या:- 51 राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत)(वित्तीय वर्ष 2022-2023 का आवंटन)  
लेखाशीर्षक:- 2245 - प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत(आयोजनेत्तर-मतदेय)  
05 - स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड  
800 - अन्य व्यय  
06 -  
01 - सूखा राहत हेतु स्टेट डिजास्टर रिस्पांश फण्ड से व्यय  
(धनराशि रु. में)

| S.No. | अधिकारी/जनपद का नाम            |                    | 42-अन्य व्यय         | योग                  |
|-------|--------------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|
| 1     | झाँसी-4217-जिलाधिकारी , --01-- | वर्तमान<br>प्रगामी | 24082848<br>44873848 | 24082848<br>44873848 |
|       | योग                            | वर्तमान<br>प्रगामी | 24082848<br>44873848 | 24082848<br>44873848 |

महायोग- (वर्तमान  
आवंटन):- रूपया दो करोड़ चालीस लाख बयासी हजार आठ सौ अड़तालीस  
महायोग- (प्रगामी  
आवंटन):- रूपया चार करोड़ अड़तालीस लाख तिहत्तर हजार आठ सौ  
अड़तालीस

  
(अखिलेश प्रताप सिंह)  
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी  
(अखिलेश प्रताप सिंह)  
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी  
राहत आयुक्त कार्यालय  
उ० प्र० शासन ।